

भाग - I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जून, 2014

संख्या लैज़० 7/2014.—दि हरियाणा राईट टु सेंऱ्ड्स ऐक्ट, 2014 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 10 जून, 2014 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2014 का हरियाणा अधिनियम संख्या 4

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014

पात्र व्यक्ति को अधिसूचित समय सीमा के भीतर सेवा देने के लिए

और उनसे संबंधित तथा उनसे आनुषंगिक

मामलों के लिए उपबन्ध

करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) "आयोग" से अभिप्राय है, धारा 12 के अधीन गठित हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग;
 - (ख) "दिवस" से अभिप्राय है, समय सीमा के रूप में निर्दिष्ट कार्य दिवस;
 - (ग) "पदाभिहित अधिकारी" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित कोई अधिकारी;
 - (घ) "पात्र व्यक्ति" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र है;
 - (ङ) "प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी" से अभिप्राय है, कोई अधिकारी जो धारा 3 के अधीन ऐसे रूप में अधिसूचित है;

- (च) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (छ) "सेवा का अधिकार" से अभिप्राय है, अधिसूचित समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार;
- (ज) "द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी" से अभिप्राय है, कोई अधिकारी जो धारा 3 के अधीन ऐसे रूप में अधिसूचित है;
- (झ) "धारा" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा;
- (ञ) "सेवा" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा;
- (ट) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;
- (ठ) "समय सीमा" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा उपलब्ध करवाने हेतु अधिकतम समय।

सेवाओं, समय सीमा, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी, द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी की अधिसूचना।

3. (1) राज्य सरकार, आयोग की सिफारिशों पर, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, सेवाओं और समय सीमा को अधिसूचित कर सकती है जिनको यह अधिनियम लागू होगा।
- (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित कर सकती है।

सेवा उपलब्ध करवाना।

4. पदाभिहित अधिकारी पात्र व्यक्ति को अधिसूचित समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करवाएगा।

सेवा प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया।

5. (1) पात्र व्यक्ति पदाभिहित अधिकारी को कोई सेवा प्राप्त करने हेतु सम्यक् रूप से भरा हुआ आवेदन करेगा।
- (2) पदाभिहित अधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, अधिसूचित समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करवाएगा या आवेदन रद्द करेगा और आवेदन के रद्द करने की दशा में कारणों को अभिलिखित करेगा और उन्हें आवेदक को सूचित करेगा।
- (3) प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी ऐसे फॉर्मेट में, जो विहित किया जाए, आवेदित सेवाओं का विस्तृत रिकार्ड रखेगा।
- (4) अधिसूचित समय सीमा, उस तिथि से प्रारम्भ होगी जब अधिसूचित सेवा के लिए पदाभिहित अधिकारी या आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत उससे अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा अपेक्षित पूर्ण आवेदन प्राप्त किया जाता है। ऐसे आवेदन की सम्यक् रूप से पावती दी जाएगी।

6. (1) कोई पात्र व्यक्ति, जिसका सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन रद्द किया गया है या जिसको अधिसूचित समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, तो वह रद्दकरण या अधिसूचित समय सीमा की समाप्ति, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से तीस दिन के भीतर प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी को अपील कर सकता है :

परन्तु प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तीस दिन की समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा तथा यदि, उसकी राय में पात्र व्यक्ति की शिकायतें सही प्रतीत होती हैं, तो वह पदाभिहित अधिकारी को सात कार्य दिवस या ऐसी अवधि जो उस द्वारा विहित की जाए के भीतर सेवा उपलब्ध करवाने और व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत रूप में उसके समक्ष पेश होने और उसके कारणों बताने के लिए निर्देश दे सकता है।

(3) पदाभिहित अधिकारी तथा पात्र व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी लिखित में या तो अपील स्वीकार करने या उसे रद्द करने के तर्कसंगत आदेश पारित कर सकता है। अपील निर्णय पंजीकृत डाक द्वारा दोनों पक्षकारों को संसूचित किया जाएगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन की गई अपील प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी द्वारा इसकी प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर अन्तिम रूप से निपटाई जाएगी।

7. (1) कोई पात्र व्यक्ति, सेवा प्राप्त करने के लिए जिसकी अपील रद्द कर दी गई है या जिसको धारा 6 के अधीन प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, तो वह प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी द्वारा ऐसे रद्दकरण या विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी को अपील कर सकता है :

परन्तु द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी साठ दिन की समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी लिखित में या तो अपील स्वीकार करते हुए तथा पात्र व्यक्ति को सात कार्य दिवस के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाए सेवा उपलब्ध करवाने हेतु पदाभिहित अधिकारी को निर्देश देते हुए तर्कसंगत आदेश पारित कर सकता है या उसे ऐसे रद्दकरण हेतु विस्तृत कारण देते हुए लिखित में रद्द कर सकता है :

परन्तु अपील रद्द करने से पूर्व, द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी द्वारा पात्र व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी द्वारा किया गया आदेश पंजीकृत डाक द्वारा दोनों पक्षकारों को संसूचित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि उप-धारा (1) के अधीन की गई अपील द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी द्वारा, जहां तक सम्भव हो, अपील की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर निर्णीत की जाएगी।

समन तथा
निरीक्षण करने
की शक्ति।

8. प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन अपील का निर्णय करते समय वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में किसी वाद पर विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :-

- (क) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने तथा निरीक्षण करने की अपेक्षा करना;
- (ख) पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई के लिए समन जारी करना; तथा
- (ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

शास्ति।

9. (1) जहां द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी की राय है कि ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में शामिल पदाभिहित अधिकारी तथा/या कोई अन्य कर्मचारी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण के बिना सेवा उपलब्ध करवाने में असफल रहता है, तो वह ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में शामिल पदाभिहित अधिकारी तथा/या किसी अन्य कर्मचारी पर एकमुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो दो सौ पचास रुपए से कम नहीं होगी और प्रत्येक मामले में पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

(2) जहां द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी की राय है कि ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में शामिल पदाभिहित अधिकारी तथा/या किसी अन्य कर्मचारी ने सेवा उपलब्ध करवाने में अनुचित विलम्ब किया है, तो वह ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में शामिल पदाभिहित अधिकारी तथा/या किसी कर्मचारी पर ऐसे विलम्ब के लिए प्रतिदिन दो सौ पचास रुपए की दर तक शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो प्रत्येक मामले में पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परन्तु ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में शामिल पदाभिहित अधिकारी तथा/या किसी अन्य कर्मचारी को उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन उस/उन पर कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी, आदेश द्वारा, अपीलकर्ता को पदाभिहित अधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भुगतान की जाने वाली एक हजार रुपए तक की राशि प्रतिकर के रूप में दे सकता है।

(4) द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी, यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में शामिल पदाभिहित अधिकारी तथा/या कोई अन्य कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण के बिना सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है/रहते हैं, तो उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त उनको लागू सेवा नियमों के अधीन व्यतिक्रमियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है।

10. कोई व्यक्ति जो द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित पुनरीक्षण है, तो वह ऐसे आदेश की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आयोग के समक्ष पुनरीक्षण दायर कर सकता है :

परन्तु आयोग नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी आवेदन ग्रहण कर सकता है, यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि पुनरीक्षण युक्तियुक्त कारण से समय पर दायर नहीं की जा सकी थी।

11. इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित सेवाएं जिनके लिए समय सीमा बनाई गई है जनसाधारण की सूचना के लिए सम्बद्ध विभाग के सचिव द्वारा किसी स्थान में तथा वैबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी। सेवाओं का प्रदर्शन तथा अधिसूचित समय सीमा।

12. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के नाम से आयोग का गठन करेगी।

(2) आयोग इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन सम्पत्ति, चल तथा अचल दोनों को अर्जित करने, धारित करने तथा व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मोहर रखने वाला उक्त नाम से ज्ञात संवैधानिक निकाय होगा तथा उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जाएगा या चलाया जा सकेगा।

(3) आयोग का मुख्यालय चण्डीगढ़ या पंचकूला, जैसा राज्य सरकार अधिसूचित करे, में होगा।

13. (1) आयोग में मुख्य आयुक्त तथा चार आयुक्त तक शामिल होंगे तथा उनकी नियुक्ति मुख्य मन्त्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा, प्रतिपक्ष का नेता तथा मुख्य मन्त्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक मन्त्रिमण्डल सदस्य से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। आयोग की संरचना।

(2) मुख्य आयुक्त हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव की पदवी तथा हैसियत में सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी होगा।

(3) कम से कम दो आयुक्त प्रशासकीय सचिव की पदवी तथा हैसियत या हरियाणा संवर्ग से अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित राज्य की किन्हीं सेवाओं में इसके समकक्ष पदवी तथा हैसियत में हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे तथा अन्य आयुक्त प्रबन्धन, विधि, प्रशासन या कॉरपोरेट शासन में कम से कम बीस वर्ष के अनुभव सहित लोक-जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

मुख्य आयुक्त
की शक्तियां।

14. (1) मुख्य आयुक्त को आयोग के कार्यों के संचालन में सामान्य अधीक्षण तथा निर्देशन की शक्तियां होंगी। मुख्य आयुक्त धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार आयोग की बैठकों की अध्यक्षता के साथ-साथ उसमें निहित आयोग की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) मुख्य आयुक्त की अनुपस्थिति या मुख्य आयुक्त के पद की रिक्ति की दशा में, राज्य सरकार, छह मास की अधिकतम अवधि के अध्यक्षीन मुख्य आयुक्त में निहित कृत्यों का पालन करने तथा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्तों में से एक को नामनिर्दिष्ट कर सकती है।

(3) उप-धारा (2) के अधीन मुख्य आयुक्त के कृत्यों तथा शक्तियों का निर्वहन करने के लिए नामनिर्दिष्ट आयुक्त, आयुक्त के रूप में जिसके लिए वह हकदार होगा, के अतिरिक्त किसी प्रतिकर, भत्ते या सुविधा के लिए हकदार नहीं होगा।

मुख्य आयुक्त
तथा आयुक्तों
की पदावधि
तथा सेवा शर्तें।

15. (1) मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त लिथि, जिसको वे अपना-अपना पद ग्रहण करते हैं, से पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे पैंसठ वर्ष की आयु के नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे तथा वे पुनर्नियुक्ति के लिए हकदार नहीं होंगे।

(2) यदि पहले से ही पद धारण करने वाला व्यक्ति मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उसे आयोग में कार्य ग्रहण करने से पूर्व उस पद से त्यागपत्र देना होगा या सेवानिवृत्ति लेनी होगी।

(3) मुख्य आयुक्त या आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल या उस निमित्त उस द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, अधिनियम से संलग्न अनुसूची में प्रयोजन के लिए बनाए गए प्ररूप के अनुसार राजनिष्ठा की शपथ लेगा।

(4) मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22), की धारा 16 की उप-धारा (5) में क्रमशः राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के लिए अधिकथित हैं।

(5) राज्य सरकार आयोग को इस अधिनियम के अधीन आयोग के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए यथा आवश्यक हरियाणा सिविल सेवा संवर्ग से सचिव, सचिव सामान्य तथा आयोग द्वारा लिए जाने वाले ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

(6) राज्य सरकार आयोग के निर्बाध कृत्य के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाएगी।

16. (1) मुख्य आयुक्त या आयुक्त राज्य के राज्यपाल को सम्बोधित करते हुए, अपने हस्ताक्षराधीन लिखित में किसी भी समय, अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

मुख्य आयुक्त या
आयुक्त का त्यागपत्र,
हटाया जाना तथा
निलम्बन।

(2) मुख्य आयुक्त या किसी आयुक्त को, राज्यपाल द्वारा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय को किए गए सन्दर्भ पर उस द्वारा जांच करने के बाद कदाचार, दुर्व्यहार या अक्षमता के सिद्ध होने के आधार पर रिपोर्ट की गई है कि मुख्य आयुक्त या किसी आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे आधार पर हटाया जाना चाहिए, केवल राज्यपाल के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जाएगा।

(3) राज्यपाल, मुख्य आयुक्त या आयुक्त, जिसके सम्बन्ध में उप-धारा (2) के अधीन पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय को सन्दर्भ किया गया है, को जांच के दौरान पद से निलम्बित कर सकता है, तथा यदि आवश्यक समझे, तो कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकता है, जब तक राज्यपाल ऐसे सन्दर्भ पर पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर आदेश पारित नहीं करता है।

(4) उप-धारा (1) तथा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल, आदेश द्वारा, मुख्य आयुक्त या आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, को पद से हटा सकता है, यदि वह,—

(क) दिवालिया हो गया है ; या

(ख) किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्धि हो गया है जो राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता वाला है ; या

(ग) अपने पद की अवधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी संदत्त नियोजन में रहता है ; या

(घ) राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर रहने के लिए अनुपयुक्त है ; या

(ङ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित करता है जिससे मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में प्रतिकूलतः उसके कृत्य प्रभावित होने की सम्भावना है।

(5) यदि मुख्य आयुक्त या आयुक्त राज्य सरकार द्वारा या की ओर से की गई किसी संविदा या करार में किसी रूप में सम्बद्ध या हित रखता है या सदस्य के रूप में तथा किसी निगमित कम्पनी के अन्य सदस्य से सामान्य रूप से अन्यथा उसके लाभ में या उससे होने वाले किसी लाभ या परिलब्धियों में किसी रूप में भाग लेता है, तो उसे उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए कदाचार के दोषी के रूप में समझा जाएगा।

17. (1) आयोग का कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे तथा राज्य सरकार को और अच्छी तरह से सेवाओं को देने हेतु सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देवे। इस प्रयोजन के लिए आयोग,—

आयोग की शक्तियां
तथा कृत्य।

- (क) धारा 10 के अधीन पुनरीक्षणों को ग्रहण कर सकता है तथा उनका निपटान कर सकता है ;
- (ख) इस अधिनियम के अनुसार सेवा देने में असफलता का स्वप्रेरणा से नोटिस दे सकता है तथा प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी या द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी को निर्णय करने के लिए ऐसे मामले भेज सकता है या ऐसे आदेश जो समुचित समझे, पारित कर सकता है ;
- (ग) सौंपी गई सेवाएं देने वाले कार्यालयों तथा प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण कर सकता है ;
- (घ) राज्य सरकार का कोई अधिकारी या कर्मचारी जो इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कृत्यों के सम्यक् निर्वहन में असफल रहता है, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है ;
- (ङ) सेवाओं को देने के लिए प्रक्रियाओं तथा प्रसंस्करण रि-इंजीनियरिंग में परिवर्तनों की सिफारिश कर सकता है जिससे ये अधिक पारदर्शी और सुलभ हो सकें :

परन्तु ऐसी सिफारिश करने से पूर्व, आयोग विभाग के कार्यभारी प्रशासकीय सचिव, जिसने सेवा देनी है, से परामर्श करेगा ;

- (च) धारा 3 के अधीन अधिसूचित की जानी वाली अतिरिक्त सेवाओं की सिफारिश कर सकता है तथा इस अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन हेतु पहले से ही जारी की गई अधिसूचनाओं में रूपान्तरण का भी सुझाव दे सकता है ;
- (छ) पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों से अनसंगत सामान्य अनुदेश जारी कर सकता है ;
- (ज) ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में शामिल पदाभिहित अधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी पर बीस हजार रुपए की राशि तक शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो मामले की परिस्थितियों के अधीन उपयुक्त समझे तथा व्यक्तिद्वारा द्वारा पात्र व्यक्ति को भुगतान किए जाने वाले पांच हजार रुपए तक का प्रतिकर अनुज्ञात कर सकता है ;
- (झ) अपने निर्णयों, निर्देशों तथा आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकता है ।
- (2) जहां आयोग की सन्तुष्टि हो जाती है कि इस अधिनियम के उपबन्धों से

उत्पन्न होने वाले किसी मामले की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं, तो वह, स्वप्रेरणा से, उसके सम्बन्ध में जांच प्रारम्भ कर सकता है।

(3) आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :-

- (क) पक्षकारों को सभन करना ;
- (ख) शपथ पर मौखिक साक्ष्य या शपथपत्रों पर लिखित साक्ष्य प्राप्त करना ;
- (ग) दस्तावेजों का प्रकटीकरण तथा निरीक्षण की अपेक्षा करना ;
- (घ) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख को तलब करना ;
- (ङ) विधि के अनुसार किसी न्यायालय से अभिलेख की प्रतियां प्राप्त करना ;
- (च) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना ; तथा
- (छ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(4) आयोग, जो वह उचित समझे केवल राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद अपने कार्य संवातन और किसी ऐसे मामले के लिए अपने विनियम बना सकता है।

18. (1) राज्य सरकार धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (ध), (ङ) तथा (च) के अधीन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करेगी तथा आयोग को तीस दिन या ऐसे लम्बे समय जो आयोग के परामर्श से विनिश्चित किया जाए, के भीतर की गई कार्रवाई की सूचना भेजेगी। यदि राज्य सरकार आयोग की किन्हीं सिफारिशों को कार्यान्वयन नहीं करने हेतु निर्णय लेती है, तो वह आयोग की सिफारिशों पर न की जाने वाली कार्रवाई के लिए कारण संसूचित करेगी।

आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई।

(2) आयोग की गई कार्रवाई तथा न की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, के कारणों सहित धारा 17 के अधीन उस द्वारा की गई सिफारिशों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। राज्य सरकार हरियाणा विधान सभा के पटल पर रखी जाने वाली इस रिपोर्ट की प्रति रखाएगी।

19. (1) कोई बात जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी विनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

(2) आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाहियां केवल किसी विद्यमान रिवित या इसके गठन में त्रुटि या अनियमितता के कारण या इसकी बैठकों में किसी आयुक्त की अनुपस्थिति के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी।

न्यायालयों की
अधिकारिता का
वर्जन।

20. किसी भी सिविल न्यायालय को किसी मामले, जिसका संज्ञान लिया जा सकता है, के सम्बन्ध में तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा निपटान किए गए किसी वाद या कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

21. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात्:-

(क) धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन सेवाओं के अभिलेख रखने के लिए फॉर्मेट ;

(ख) धारा 10 के अधीन की गई पुनरीक्षण के निपटान के लिए प्रक्रिया;

(ग) धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन आयोग के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें ; तथा

(घ) कोई अन्य मामला जो अपेक्षित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कूल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में पूरी हो सकती है, तथा यदि सत्र के ठीक पश्चात्तवर्ती सत्र या उपरोक्त उत्तरोत्तर सत्र की समाप्ति से पूर्व सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाता है या सदन सहमत हो जाता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तत्पश्चात्, नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा, जैसी भी स्थिति हो। तथापि, कोई ऐसा उपान्तरण या विलोपन उस नियम के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

कठिनाइयां दूर करने की
शक्ति।

22. इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनसंगत ऐसे उपबन्ध बना सकती है या ऐसे निर्देश दे सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

23. (1) हरियाणा सेवा का अधिकार अध्यादेश, 2013 (2013 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 7), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची

[दिए गए धारा 15 (3)]

मैं, _____ सेवा का अधिकार आयोग, हरियाणा में मुख्य आयुक्त/ आयुक्त नियुक्त किया गया हूँ, भगवान के नाम से शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। यह कि मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को बनाए रखूंगा। यह कि मैं मेरे पद के कर्तव्यों का पालन विधिपूर्वक तथा निष्ठापूर्वक तथा मेरी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान तथा विवेकबुद्धि के अनुसार डर या पक्ष, अनुराग या वैमनस्य के बिना करूंगा तथा मैं भारत के संविधान और इसके अधीन बनाई गई विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।

आराधना साहनी,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 26th March, 2014

No. Leg. 7/2014.—The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 22nd March, 2014, and is hereby published for general information :—

(HARYANA ACT NO. 4 OF 2014)

THE HARYANA RIGHT TO SERVICE ACT, 2014

AN

ACT

to provide for the delivery of service to eligible person within the notified time limits and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

Definitions.

1. This Act may be called the Haryana Right to Service Act, 2014.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Commission" means the Haryana Right to Service Commission constituted under section 12;
 - (b) "days" means the working days referred to as the time limit;
 - (c) "Designated Officer" means an officer as notified under section 3;
 - (d) "eligible person" means a person who is eligible for obtaining services notified under section 3;
 - (e) "First Grievance Redressal Authority" means an officer who is notified as such under section 3;
 - (f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
 - (g) "right to service" means a right to obtain the service within the notified time limit;
 - (h) "Second Grievance Redressal Authority" means an officer who is notified as such under section 3;
 - (i) "section" means a section of this Act;
 - (j) "service" means service notified under section 3;
 - (k) "State Government" means the Government of the State of Haryana;
 - (l) "time limit" means maximum time to provide the service by the Designated Officer as notified under section 3.

3. (1) The State Government on the recommendations of the Commission may, by notification from time to time, notify the services and time limit to which this Act shall apply.

Notification of services, time limit, Designated Officers, First Grievance Redressal Authority, Second Grievance Redressal Authority.

(2) The State Government may, by notification, notify the Designated Officer, First Grievance Redressal Authority and Second Grievance Redressal Authority.

4. The Designated Officer shall provide the service to the eligible person within the notified time limit.

Providing of service.

5. (1) An eligible person shall make a duly filled in application to the Designated Officer for obtaining any service.

Procedure for obtaining service.

(2) The Designated Officer shall, on receipt of an application under sub-section (1), provide service or reject the application within the notified time limit and in case of rejection of application, shall record the reasons in writing and intimate the same to the applicant.

(3) Every Designated Officer shall maintain detailed record of services applied for, in such format, as may be prescribed.

(4) Notified time limit shall start from the date when requisite complete application for notified service is received by the Designated Officer or a person subordinate to him authorized to receive the application. Such application shall be duly acknowledged.

6. (1) Any eligible person, whose application for obtaining service is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided the service within the notified time limit, may file an appeal to the First Grievance Redressal Authority within thirty days from the date of rejection or the expiry of the notified time limit, as the case may be:

First appeal.

Provided that the First Grievance Redressal Authority may admit the appeal after the expiry of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the First Grievance Redressal Authority shall consider the matter and if, in its opinion the grievances of the eligible person appears to be genuine, it may direct the Designated Officer to provide the service within seven working days, or such period as may be specified by it and in case of default, to appear before it in person and explain reasons thereof.

(3) After affording an opportunity of hearing to the Designated Officer and the eligible person, the First Grievance Redressal Authority may pass a reasoned order in writing either accepting the appeal or rejecting the same. Decision in appeal shall be communicated to both the parties by registered post.

(4) An appeal made under sub-section (1) shall be finally disposed of by the First Grievance Redressal Authority within a period of thirty days of its receipt.

Second appeal.

7. (1) Any eligible person, whose appeal for obtaining service is rejected or who is not provided the service within the time specified in the order accepting the appeal by the First Grievance Redressal Authority under section 6, may file an appeal to the Second Grievance Redressal Authority within sixty days from the date of such rejection or the expiry of the time specified by the First Grievance Redressal Authority:

Provided that the Second Grievance Redressal Authority may admit the appeal after the expiry of sixty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Second Grievance Redressal Authority may pass a reasoned order in writing either accepting the appeal and directing the Designated Officer to provide service to the eligible person within seven working days or within such period, as may be specified or reject the same in writing detailing the reasons for such rejection:

Provided that before rejecting the appeal, an opportunity of hearing to the eligible person shall be granted by the Second Grievance Redressal Authority:

Provided further that an order made by the Second Grievance Redressal Authority under this section shall be communicated to both the parties by registered post:

Provided further that the appeal made under sub-section (1) shall be decided by the Second Grievance Redressal Authority within a period of sixty days from the date of receipt of appeal, as far as possible.

Power to summon and inspection.

8. The First Grievance Redressal Authority and the Second Grievance Redressal Authority shall, while deciding an appeal under the provision of this Act, have the same powers as are vested in civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:—

- (a) requiring the production and inspection of documents;
- (b) issuing summons for hearing to the Designated Officer and the appellant; and
- (c) any other matter, which may be prescribed.

Penalty.

9. (1) Where the Second Grievance Redressal Authority is of the opinion that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service has failed to provide service without sufficient and reasonable cause, it may impose a lump sum penalty on the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service, which shall not be less than two hundred and fifty rupees and not more than five thousand rupees in each case.

(2) Where the Second Grievance Redressal Authority is of the opinion that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service has/have caused undue delay in providing the service, it may impose a penalty up to the rate of two hundred and fifty rupees per day for such delay on the Designated Officer and/or any official involved in the process of providing such service, which shall not be more than five thousand rupees in each case:

Provided that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed under sub-sections (1) and (2).

(3) The Second Grievance Redressal Authority may, by an order, give as compensation an amount up to one thousand rupees to the appellant to be paid by the Designated Officer or any other official, as the case may be.

(4) The Second Grievance Redressal Authority may, if it is satisfied that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service has/have failed to discharge the duties assigned under this Act without sufficient and reasonable cause, recommend disciplinary action against the defaulters under the service rules applicable to them in addition to the penalty imposed under sub-section (1).

10. Any person who is aggrieved by any order of the Second Grievance Redressal Authority, may file revision before the Commission within a period of ninety days from the date of such order: Revision.

Provided that the Commission may entertain the application after the expiry of the said period of ninety days, if it is satisfied that the revision could not be filed in time due to a reasonable cause.

11. Notified services under this Act for which time limit have been framed shall be displayed locally and on website by the Secretary of the Department concerned for information of the public. Display of services and the notified time limit.

12. (1) The State Government shall constitute a Commission to be called the Haryana Right to Service Commission for the purpose of this Act. Constitution of Commission.

(2) The Commission shall be a statutory body, known by the aforesaid name having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.

(3) The Head Office of the Commission shall be at Chandigarh or Panchkula, as the State Government may notify.

13. (1) The Commission shall consist of a Chief Commissioner and upto four Commissioners and their appointment shall be made by the Governor on the recommendation of a Committee consisting of the Chief Minister, who shall be the Chairperson of the Committee, leader of the opposition and one Cabinet Minister, to be nominated by the Chief Minister. Composition of Commission.

(2) The Chief Commissioner shall be a serving or retired officer in the rank and status of the Chief Secretary of the State of Haryana or Secretary to the Government of India.

(3) At least two of the Commissioners shall be retired officers of the Government of Haryana in the rank and status of a Administrative Secretary or its equivalent rank and status in any of the services of the State, including officers of All India Services from the Haryana cadre and other Commissioners shall be persons of eminence in public life with atleast twenty years experience in management, law, administration or corporate governance.

Powers of Chief
Commissioner.

14. (1) The Chief Commissioner shall have powers of general superintendence and direction in the conduct of the affairs of the Commission. The Chief Commissioner shall preside over the meetings of the Commission as well as exercise and discharge the powers and functions of the Commission vested in him in accordance with the regulations framed under sub-section (4) of section 17.

(2) In case of absence of the Chief Commissioner or a vacancy in the office of the Chief Commissioner, the State Government may nominate one of the Commissioners to perform the functions and exercise the powers vested in the Chief Commissioner subject to a maximum period of six months.

(3) A Commissioner nominated to discharge the functions and powers of the Chief Commissioner under sub-section (2) shall not be entitled to any compensation, allowance or facility in addition to what he would be entitled to as a Commissioner.

Term of office
and conditions of
service of Chief
Commissioner and
Commissioners.

15. (1) The Chief Commissioner and the Commissioners shall hold office for a term of five years from the date on which they enter upon the respective offices, or until they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier and they shall not be eligible for re-appointment.

(2) If a person already holding an office is appointed as the Chief Commissioner or the Commissioner, he shall resign or seek retirement from that office before joining the Commission.

(3) The Chief Commissioner or the Commissioner shall, before he enters upon his office, take an oath of allegiance before the Governor or some other person appointed by him in that behalf, according to the form set out for the purpose in the Schedule annexed to the Act.

(4) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chief Commissioner and the Commissioners shall be the same as those of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners, respectively as laid down in sub-section (5) of section 16 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act 22 of 2005).

(5) The State Government shall provide the Commission with a Secretary from HCS cadre, a Secretary General and such other officers and employees to be hired by the Commission, as may be necessary for the efficient performance of the Commission under this Act. The salaries, allowances and conditions of service of the officers and other employees so appointed shall be such, as may be prescribed.

(6) The State Government shall provide adequate funds for smooth functioning of the Commission.

16. (1) The Chief Commissioner or Commissioner may, at any time by writing under his hand, addressed to the Governor of the State, resign from his office.

Resignation,
removal and
suspension of
Chief
Commissioner or
Commissioners.

(2) The Chief Commissioner or any Commissioner shall be removed from his office only by order of the Governor on the ground of proven misconduct, misbehavior or incapacity, after the Punjab and Haryana High Court, on a reference made to it by the Governor, has on inquiry, reported that the Chief Commissioner or any Commissioner, as the case may be, ought to be removed on such ground.

(3) The Governor may suspend from office, and if deem necessary, prohibit also from attending the office during inquiry, the Chief Commissioner or the Commissioner, in respect of whom a reference has been made to the Punjab and Haryana High Court under sub-section (2), until the Governor has passed orders on receipt of the report of the Punjab and Haryana High Court on such reference.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the Governor may, by order, remove from office the Chief Commissioner or Commissioner, as the case may be, if he,—

- (a) is adjudged an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Governor, involves moral turpitude; or
- (c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or
- (d) is, in the opinion of the Governor, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or
- (e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Chief Commissioner or Commissioner.

(5) If the Chief Commissioner or Commissioner in any way is concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of the State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emoluments arising there from otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (2), be deemed to be guilty of misconduct.

Powers and
functions of
Commission.

17. (1) It shall be the duty of the Commission to ensure proper implementation of this Act and to make suggestions to the State Government for ensuring better delivery of services. For this purpose the Commission may,—

- (a) entertain and dispose of revisions under section 10;
- (b) take suo moto notice of failure to deliver service in accordance with this Act and refer such cases for decision to the First Grievance Redressal Authority or the Second Grievance Redressal Authority or pass such order, as may be appropriate;
- (c) carry out inspections of offices entrusted with the delivery of services and the offices of the First Grievance Redressal Authority and the Second Grievance Redressal Authority;
- (d) recommend Departmental action against any officer or employee of the State Government, who has failed in due discharge of functions cast upon him under this Act;
- (e) recommend changes in procedures and process re-engineering for delivery of services which may make the delivery more transparent and easier:

Provided that before making such a recommendation, the Commission shall consult the Administrative Secretary in-charge of the Department which is to deliver the service;

- (f) recommend additional services to be notified under section 3 and may also suggest modifications in the notifications already issued for better implementation of this Act;
- (g) issue general instructions, not inconsistent with the provisions of this Act for the guidance of Designated Officers, the First Grievance Redressal Authority and the Second Grievance Redressal Authority;
- (h) impose penalty on Designated Officer or any other official involved in the process of providing such service up to a sum of twenty thousand rupees, as deemed fit under the circumstances of the case and allow compensation up to five thousand rupees, to be paid to eligible person by defaulter;
- (i) review its decisions, directions and orders.

(2) Where the Commission is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into a matter arising out of the provisions of this Act, it may, suo moto, initiate an inquiry in respect thereof.

(3) The Commission shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning the parties;
- (b) receiving oral evidence on oath or written evidence on affidavits;
- (c) requiring the discovery and inspection of documents;
- (d) requisitioning of any public record from any office;
- (e) obtaining copies of record from any court in accordance with law;
- (f) issuing summons for examination of witnesses or documents; and
- (g) any other matter, which may be prescribed.

(4) The Commission may frame its regulations for the conduct of its business and any such matter, as it may deem fit only after the approval of the State Government.

18. (1) The State Government shall consider the recommendations made by the Commission under clauses (d), (e) and (f) of sub-section (1) of section 17 and send information to the Commission of action taken within thirty days or such longer time as may be decided in consultation with the Commission. In case the State Government decides not to implement any of the recommendations of the Commission, it shall communicate the reasons for not acting on the recommendations to the Commission.

Action by State Government on recommendations of Commission.

(2) The Commission shall prepare an annual report of the recommendations made by it under section 17 along with the action taken and reasons for not taking action, if any. The State Government shall cause a copy of this report to be laid on the table of the Haryana Legislative Assembly.

19. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or any regulation made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

(2) No act done or proceedings taken under this Act by the Commission shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy or by reason of defect or irregularity in its constitution or absence of any Commissioner in its meeting.

20. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter the cognizance of which can be taken and disposed of by any authority empowered by this Act or the rules or regulations made thereunder.

Bar of jurisdiction of courts.

Powers to make rules.

21. (1) The State Government may, by notification, in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the format to maintain the records of services under sub-section (3) of section 5;
- (b) the procedure for disposing of a revision made under section 10;
- (c) salaries, allowances and conditions of service of the officers and other employees of the Commission under sub-section (5) of section 15; and
- (d) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule, or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to remove difficulties.

22. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions or give such directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

Repeal and savings.

23. (1) The Haryana Right to Service Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 7 of 2013), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

THE SCHEDULE

[See section 15 (3)]

I, _____ having been appointed Chief Commissioner/ Commissioner in the Right to Service Commission, Haryana, swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and I will uphold the Constitution of India and the laws made thereunder.

RAJRAHUL GARG,
Secretary to Government Haryana,
Law and Legislative Department.